रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 1984/चैत्र 27, 1906
No. 182] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 1984/CHAITRA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1984

का.आ. 308(अ):—केन्द्रीय सरकार, विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, "विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" गठित करती है जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री पुलियंगुडि रामय्य पिल्लै गोकुलकृष्णन होंगे ।

[सं. 2/17017/5/84-आइ.एस. (यू.एस.डा.-2)]

एल. एन. गुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1984

S.O. 308(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government, being of opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the 'Unlawful Activities (Prevention) Tribunal' consisting of Shri Justice, Puliangudi Ramaiya Pillai Gokulakrishnan, Judge of Madras High Court.

[No. II|17017|5|84-IS(US-D.II)]

L. N. GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984